

08.04.2022:—आज यह पत्रावली वादी अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र कुमार सिहाग के प्रार्थना-पत्र पर पत्रावली को पेशी में लिया गया। प्रार्थना-पत्र शामिल पत्रावली किया गया। उभयपक्ष उपस्थित। उभयपक्ष के निवेदन पर पत्रावली में बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया। बाद अवलोकन पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य/सबूत एवं अधिवक्तागण कि बहस को मध्यनजर रखते हुए। वाद वादी पोषणीय पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाये जाने के उपरान्त शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय की पालना में पर्चा डिक्री जारी कर शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली नंबर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफतर हो।

सहायक कलक्टर
उपखण्डाधिकारी
राजगढ़